Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 13–2025] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 1, 2025 (CHAITRA 11, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विरासत तथा पर्यटन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 मार्च, 2025

संख्या 12/250– 2024/पुरा/1654–1662.— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों तथा प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों का हरियाणाा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) के अधीन संरक्षण अपेक्षित है;

इसलिए, अब, हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, के साथ जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विरासत तथा पर्यटन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाए, पर विचार करेगी।

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
नागपुरिया बावड़ी, 18वीं शताब्दी पूर्व	नागपुरिया बावड़ी, 18वीं शताब्दी पूर्व	नारनौल	महेंद्रगढ़	हदबस्त संख्या 159 खसरा संख्या 3025–26 खतौनी संख्या 1350 खेवट संख्या 100/962	0.1 0.2 (गैर मुमकिन)	निजी स्वामित्व	नागपुरिया बावड़ी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ एक ऐतिहासिक संरचना है। 18वीं शताब्दी में नारनौल के स्थानीय व्यापारियों जो बाद में नागपुर चले गए, द्वारा निर्मित, यह बावड़ी सुंदर बड़ा–छोटा तालाब और ठाकुरजी को समर्पित एक मंदिर के साथ एक धर्मशाला के पास स्थित है। बावड़ी प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
							उत्कृष्ट उदाहरण है, जो इसकी बावड़ी डिजाइन की विशेषता है जो आगंतुकों को जल स्रोत तक ले जाती है। इसकी तीन मंजिला इमारत जटिल नक्काशी से सुसज्जित है, जो उस युग के कलात्मक कौशल और वास्तुकला परिष्कार को प्रदर्शित करती है। विशेष रूप से, बावड़ी के भीतर का पानी सल्फर से भरपूर है, जिसके बारे में पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इसमें खासकर त्वचा रोगों के लिए उपचार गुण होते हैं। यह पहलू इसके पानी के चिकित्सीय लाभों की इच्छा करने वाले आगंतुकों को भी आकर्षित करता है।

कला रामचंद्रन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विरासत तथा पर्यटन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HERITAGE AND TOURISM DEPARTMENT

Notification

The 27th March, 2025

No. 12/250-2024/pura/1654-1662.— Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that archaeological sites and remains and ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below requires protection under the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964) the Governor of Haryana hereby proposes to declare the ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below, to be a protected archaeological sites and remains as specified in columns 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the said Schedule to be a protected area.

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Heritage and Tourism Department, Chandigarh from any person with respect to the proposal before the expiry of the period so specified: -

SCHEDULE

Name of ancient and historical monuments	Name of archaeological sites and remains	Name of Village/City	Name of Tehsil/ District	Revenue Khasra/ Kila number under protection	Area to be protected Kanal-Marla	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Nagpurian Baoli, 18th CE	Nagpurian Baoli, 18th CE	Narnaul	Mahendergarh	Hadbast No. 159 Khasra No. 3025-26 Khotni No. 1350 Khewat No. 100/962	0.1 0.2 (Gair Mumkin)	Private Ownership	Nagpurian Baoli is a historical structure with a rich cultural heritage. Constructed in the 18th century by local businessmen from Narnaul who later moved to Nagpur, this baoli is situated near the scenic Bada-Chota Talao and a dharamshala, alongside a temple dedicated to Thakurji.

Name of ancient and historical monuments	Name of archaeological sites and remains	Name of Village/City	Name of Tehsil/ District	Revenue Khasra/ Kila number under protection	Area to be protected Kanal-Marla	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
							The baoli is an exquisite example of ancient Indian architecture, characterized by its stepwell design that leads visitors down to the water source. Its three-storeys are adorned with intricate carvings, showcasing the artistic skills and architectural sophistication of the era. Notably, the water within the baoli is rich in sulfur, which has been traditionally believed to possess healing properties, particularly for skin ailments. This aspect also attracts visitors seeking the therapeutic benefits of its waters.

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Heritage and Tourism Department.

11778—C.S.—H.G.P., Pkl.